## <u> भ्रोफार्मा-अ</u>

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं०

44472

(यह अभिलेख भवन का अनापित्त प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सिटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है) कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद (१०००) विकास उत्तर प्रदेश

पत्र संख्यादिद्व (अम्हान्ड्र विकास्य विकास हम

दिनांक 4 15 19

स्वामी/प्रबन्धक,
से० ५० सर्रिशाल ३७ (४) रुप

जनपद १८५८ १७२। छन्।

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

रान्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या.......दिनांक 3/15/19

1. चेकिंग का दिनांक। 4 10 19

. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चूंकिंग अधिकारी का नाम। 🗢

) 3. संस्थान का विवरण। ३५८) 🕁 🖰

4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 🖊 🔊

परीक्षण किये गये फायर एक्सिटिंग्यूशरों की संख्या। 10

6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाई ड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

_					
	क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशूर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
		6.9.19	05 Kg	07	4142/01
	2.	કી લી ધી	05 4	02	7,0-1,0-1
	2.	લી છેતા ક	4.5 %	01	

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सिटंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....। अग्विमान्स वीस्था कार्य फिरोजीबाद